



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), गुजरात अहमदाबाद शाखा,,

“लेखा परीक्षा भवन” नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009

O/o The Accountant General (A&E) Gujarat, Ahmedabad  
Branch “ Audit Bhavan” Navrangpura, Ahmedabad- 380009

परिपत्र सं. डब्ल्यू एम-1/DA/91

दिनांक:- 03.09.2024

मुख्यालय कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 24 स्टाफ 2024 संख्या 44-स्टाफ हक 11/33-2021 दिनांक 26.07.2024 के अनुसार ब्रीफकेस/ऑफिस बैग/लेडीज पर्स की प्रतिपूर्ति के लिए मौद्रिक सीमा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

1. विभागीय संवर्ग के पात्र अधिकारी किसी भी निजी/सार्वजनिक आउटलेट से अपनी पसंद का ब्रीफकेस/ऑफिस बैग/लेडीज पर्स खरीद सकते हैं। प्रतिपूर्ति की गई खरीद के जीएसटी पंजीकरण के साथ बिल प्रस्तुत करने पर की जाएगी। केवल संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के नाम से निकाले गए बिल ही स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि, प्रतिपूर्ति निम्नलिखित अधिकतम सीमा तक सीमित रहेगी:

वेतन स्तर	अधिकतम सीमा (₹.) (जीएसटी सहित)
स्तर 6 से स्तर 7	4375/
स्तर 8 से स्तर 10	5000/

2. ब्रीफकेस/ऑफिस बैग/लेडीज पर्स की प्रतिपूर्ति उपरोक्त अधिकारियों को इस विभाग में कार्यभार ग्रहण करने या पिछले आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष पूरे होने पर की जाएगी।

3. यह आदेश 01.01.2024 से प्रभावी है, हालांकि पुराने निपटाए गए मामलों को फिर से नहीं खोला जा सकता है।

4. आधिकारिक उद्देश्य के लिए ब्रीफकेस/ऑफिस बैग/लेडीज पर्स की प्रतिपूर्ति के तथ्य के संबंध में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी।

हस्ता/-

उप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रतिलिपि:

- वरिष्ठ लेखा अधिकारी आईटी-सहायता प्रकोष्ठ, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय, राजकोट, कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- श्री राजकुमार मीना, महासचिव, संभागीय लेखाकार अधिकारी/संभागीय लेखाकार संघ, गुजरात अहमदाबाद, संभागीय लेखाकार संवर्ग में संचलन हेतु।
- संभागों के सभी पूर्व अभियंता।
- परिपत्र फाइल।

21/9/24

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/डब्ल्यूएम-1



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), गुजरात अहमदाबाद शाखा,,  
“लेखा परीक्षा भवन” नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009  
O/o The Accountant General (A&E) Gujarat, Ahmedabad  
Branch “ Audit Bhavan” Navrangpura, Ahmedabad- 380009

CIRCULAR NO. WM-I/DA/91 Dated:- 03.09.2024

As per Circular No. 24 staff 2024 No. 44-staff Entt. 11/33-2021 dated 26.07.2024 issued by Headquarters Office, the monetary limit for reimbursement of Briefcase/Office bag/ladies purse has been revised as under:-

1. The entitled officers of DA cadre can purchase briefcase/office bag/ladies purse of their own choice from any private/public outlet. The reimbursement shall be made on production of the bill with GST Registration of the purchase made. Only bills drawn in the name of the concerned official/officer shall be entertained.

However, the reimbursement shall be restricted to the following ceiling limits:

Pay Level	Ceiling Limit(Rs) (Including of GST)
Level 6 to Level 7	4375/-
Level 8 to Level 10	5000/

2. The Reimbursement of Briefcase/office bag/ladies purse shall be made to the above officers on joining this Department or completion of three years from the date of issue of the earlier one.

3. This order is effective from 01.01.2024, however, old settled cases may not be reopened.

4. An entry shall be made in the service book of the concerned official/officer regarding the fact of reimbursement of Briefcase/office bag/ladies purse for official purpose.

Sd/-

Deputy Accountant General(A&E)

**Copy to:**

1. Sr. Accounts Officer IT-Support Cell, O/o The Accountant General(A&E), Rajkot, for uploading in the website of office.
2. Shri Rajkumar Meena, General Secretary, Div. Accountants Officers/Div. Accountants Association, Gujarat Ahmedabad, for circulation amongst in Div. Accountant's Cadre.
3. All Ex. Engineers of Divisions.
4. Circular File.

*Radhika*  
Sr. Accounts Officer/WM-I